



दिल्ली विकास प्राधिकरण

भूमि विक्रय शाखा (आवासीय)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उन सभी पात्र व्यक्तियों के संबंध में प्लॉटों का ड्रा (लॉटरी) आयोजित करने जा रहा है, जिनके नाम वैकल्पिक प्लॉटों के आवंटन हेतु भूमि एवं भवन विभाग (L&B Department) द्वारा अनुशंसित एवं सत्यापित किए गए हैं। ये प्लॉट 40 वर्ग गज क्षेत्रफल के हैं। सभी पात्र व्यक्तियों के संबंध में वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है, जो डी.डी.ए. की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर उपलब्ध है। जिन सभी अनुशंसित व्यक्तियों का प्लॉट आवंटन अभी लंबित है, वे वरिष्ठता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। यदि किसी अनुशंसित व्यक्ति का नाम उक्त सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपने मूल अनुशंसा पत्र (Recommendation Letter) तथा प्लॉट की अनुशंसा से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि वरिष्ठता सूची को तदनुसार अद्यतन किया जा सके। सभी अनुशंसित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे भविष्य के पत्राचार हेतु अपना ई-मेल आईडी एवं वर्तमान पता उपलब्ध कराएं।

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान में ठीक 40 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले प्लॉटों की संख्या सीमित है। अन्य उपलब्ध प्लॉट का आकार थोड़ा बड़ा है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त क्षेत्रफल का शुल्क नरेला के औसत नीलामी दरों (Average Auction Rates) के अनुसार लिया जाएगा। यदि किसी अनुशंसित व्यक्ति को आवंटन की शर्तों के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं।

हमें [f @ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [X @official_dda](https://www.instagram.com/ddaofficial) [@official_dda](https://www.youtube.com/channel/UC...) पर फॉलो करें
कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें